न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश प्रथम, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–315/2009

नथुनी साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मुकुरधन यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
01.08.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 15.10.2022 एवं दिनांक 22.04.2024 अंतर्गत आदेश 18 नियम 17 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुना। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 15.10.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण अपना कागज दाखिल कर चुके है। वाद अंतिम बहस हेतु नियत है। बहस के तैयारी के क्रम में प्रतिवादीगण को ज्ञात हुआ कि उनके तरफ से कुछ मालगुजारी रसीद एवं दाखिल खारिज वादसं0–2262/2015–16, 2263/2015–16 एवं 2264/2015–16 की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल करना छुट गया है, जो दाखिल किया जा रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि इसे साक्ष्य में ग्रहण कर प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय तथा दिनांक 22.04.2024 के आवेदन में कहा गया है कि उभय पक्षों की ओर से अपने–अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पूर्ण हो चुका है तथा वाद बहस हेतु नियत है। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने दावा के समर्थन में कुछ दस्तावेजी साक्ष्य, साक्ष्य बंद होने के बाद दाखिल किया गया है, जो पूर्व में प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं था, जो प्रदर्श अंकित नहीं हो सका है। जिसे न्यायहित में प्रदर्श अंकित करना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण के साक्ष्य को न्यायहित में रिकॉल करने की कृपा की जाय ताकि प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल कागजातों को प्रदर्श अंकित किया जा सकें। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन दिनांक 15.10.2022 के विरूद्ध प्रत्युत्तर दाखिल करने से दिनांक 13.04.2023 को माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा वंचित	

न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश प्रथम, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–315/2009

नथुनी साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मुकुरधन यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 01.08.2024	किया गया था तथा आवेदन दिनांक 22.04.2024 का प्रत्युत्तर दिनांक 05.07.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन पोषणीय नहीं बल्कि खारिज होने योग्य है। वाद बहस हेतु नियत है। प्रतिवादीगण की ओर से कौन सा कागजात प्रदर्श करना है, इसका भी पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल दोनों आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा प्रतिवादीगण की ओर से कौन सा दस्तावेज प्रदर्श कराना है, उसे प्रतिवादी ने अपने आवेदन दिनांक 15.10.2022 में उल्लेख किया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल दोनों आवेदन को मो0–2000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा दाखिल दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने हेतु साक्षी को रिकॉल किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण अगले 02 तिथि में अपना साक्ष्य इस आदेश के आलोक में करावें। आगामी दिनांक 05.09.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	